उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-8

संख्या-171/2015/410/9-8-2015-4(23)आ.न.यो./10

लखनऊ दिनांक 23 मार्च, 2015

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में एक लाख से कम आबादी वाली ऐसी नागर निकायों, जिनमें जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत यूआईडीएसएसएमटी कार्यांश लागू नहीं है, में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 555/9-5-2008-370सा/06 दिनांक 24 जनवरी, 2008 द्वारा आदर्श नगर योजना लागू की गयी थी। इस योजना के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/9-8-2013-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-338/9-8-2015-4(23)/आ.न.यो./10 दिनांक 06 फरवरी, 2015 द्वारा आवश्यक संशोधन/सरलीकरण किये गये हैं।

2. शासन स्तर पर योजना की समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि आदर्श नगर योजना के क्रियान्वयन में विद्यमान दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत शासन द्वारा नागर निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि निकायों को सम्बन्धित जनपदों से समयान्तर्गत प्राप्त नहीं हो पा रही हैं जिससे एक ओर जहां योजना के क्रियान्वयन में बिलम्ब होता है वहीं दूसरी ओर विकास कार्यो से सम्बन्धित परियोजनाओं की लागत भी बढ जाती है। इससे निकायों के ऊपर अनावश्यक रूप से वित्तीय भार भी बढ जाता है तथा जन सामान्य को इसके तहत मिलने वाली जनसुविधाओं का लाभ भी उन्हें समय से नहीं मिल पा रहा है।

3. उक्त के दृष्टिगत अतएव योजना के अन्तर्गत निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु दी जाने वाली धनराशि के सु-व्यवस्थित एंव समयबद्व रूप से निकायों के आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक से खोले गये बचत खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से स्थानान्तरित किये जाने हेतु योजना के विद्यमान दिशा-निर्देशों में निम्नानुसार सरलीकरण/संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

वर्तमान में विद्यमान व्यवस्था		संशोधित व्यवस्था
आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत निकायों से 10 प्रतिशत निकाय अंश जमा कराये जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए राज्य सरकार के स्तर से ही निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि का आवंटन किया जायेगा।		आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि सीधे निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर उनके पक्ष में आवंटित की जायेगी, जिसे निदेशक, नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश के द्वारा कोषागार से आहरित कर निकायों को उनके द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक से खोले गये बचत खाते में एक सप्ताह के अन्दर ई-पेमेन्ट के माध्यम से स्थानान्तरित किया जायेगा।

u.o.g

4. आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि, निकायों द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक से खोले गये बचत खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से स्थानान्तरित किये जाने की यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2015-16 से लागू होगी तथा योजना के अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

28/3/2015

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

संख्या- 171/2015/41001) 9/8-2015-4(23)आ.न.यो./10 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी, नगर विकास विभाग को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास/नियोजन/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. नगर विकास अनुभाग-5/9/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/9
6. निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, नगरीय निकाय)
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)
11. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

u o-g